

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरौही

प्रार्थी/अपीलांत

बनाम

अप्रार्थी/रेस्पोंडेन्ट


श्रीमती मदीना बानू पत्नि श्री कमरुद्दीन
निवासी पिपलिया जाव मेहताबाग
बाली तहसील बाली
जिला पाली।

सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही

किस्म मुकदमा- अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005

मुकदमा नं. 50 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
27.04.2026	<p>अपीलांत ने यह प्रथम अपील रेस्पोंडेन्ट के विरुद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांत की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक आवेदन दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांत को पट्टा संख्या 124 मिसल संख्या 91-26 (83-84) जो कि वसीयत किया हुआ है तथा उक्त पट्टा श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री समसुखांजी जाति सिलावट मुसलमान निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरौही के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांत द्वारा निर्धारित शुल्क रुपये 10/- जमा करा दिए हैं। अपीलांत द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया है कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही को एक आवेदन दिनांक 27.02.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अपीलांत को पट्टा संख्या 124 मिसल संख्या 91-26 (83-84) जो कि वसीयत किया हुआ है तथा उक्त पट्टा श्री फकीर मोहम्मद पुत्र श्री समसुखांजी जाति सिलावट मुसलमान निवासी पोसालिया तहसील शिवगंज जिला सिरौही के नाम से जारी किया हुआ है। उक्त पट्टे की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांत द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पोसालिया से सम्बन्धित होने से रेस्पोंडेन्ट अतिरिक्त जिला कलक्टर, सिरौही द्वारा जरिए पत्र क्रमांक/लो.सु.अ./रेकॉर्ड/ 2026/125 दिनांक 19.03.2026 के द्वारा अपीलांत का मूल आवेदन ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पोसालिया को स्थानान्तरित कर दिया गया था। चूंकि लोक सूचना अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत पोसालिया के प्रथम अपील अधिकारी जिला कलक्टर, सिरौही नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत की अपील खारिज की जाती है। निर्णय सर-ए-इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	


(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, सिरौही